दैनिक समाचार पत्र " दैनिक भास्कर " में प्रकाशन की तिथि :- 13.08.2016

आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि :- 13.09.2016 अपराह्न 05 बजे तक

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

नियुक्ति सूचना संख्या– 01/2016

व्यवहार न्यायालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी में चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु दिए गए प्रारूप में हिन्दी में स्वलिखित आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी और बिना किसी पूर्व सूचना के नियुक्ति रद्द की जा सकती है। चतुर्थवर्गीय पदों की रिक्तियां, जो घट/बढ़ सकती है, निम्न प्रकार से हैः–

क0 संख्या	पद का नाम	संभावित रिक्तियां	वेतनमान
1	पदचर/आदेशपाल	66	(5200–20200) ग्रेड वेतन– 1650/–

(1) **<u>पात्रता मानदंड</u>** :– अभ्यर्थी भारत का नागरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ्य एवं अच्छे चरित्र और चालचलन का होना चाहिए।

(क) आयु सीमा (दिनांक 01.01.2016 को निम्नवत्) :–

कम सं0	वर्ग	न्यूनतम आयु (वर्ष में)	अधिकतम आयु (वर्ष में)
1	अनारक्षित (पुरूष)	18	37
2	अनारक्षित (महिला)	18	40
3	पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)	18	40
4	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	18	42

बिहार सरकार की आरक्षण नियमावली विभिन्न वर्ग के अभ्यर्थियों पर लागू होगी। अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब वह आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर अपने आरक्षण का दावा करेगा। आरक्षण का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासी को ही मिलेगा। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंग।

(ख) बिहार सरकार की आरक्षण नियमावली के आलोक में नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर–आरक्षित कोटिवार विवरण पद संख्या सहित निम्नवत हैः–

क0	आरक्षण की कोटि	आरक्षण का प्रतिशत	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
01	सामान्य कोटि (सामान्य गैर आरक्षित)	50%	66 X 50 ÷ 100 = 33	
02	अनुसूचित जाति	16%	66 X 16 ÷ 100 = 10.56 = 10	
03	अनुसूचित जनजाति	01%	66 X 01 ÷ 100 = 0.66 = 01	
04	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	18%	66 X 18 ÷ 100 = 11.88=12	
05	पिछड़ा वर्ग	12%	66 X 12 ÷ 100 = 7.92 = 08	
06	पिछड़ा वर्ग महिला	03%	66 X 03 ÷ 100 = 1.98 = 02	
			कुल पदों की संख्या = 66	
				नोट–1 03% आरक्षण का लाभ दिब्यांग (Handicapped) अभ्यर्थियों को प्रत्येक कोटि में नियमानुसार दिया जाएगा। नोट–2 आरक्षित एवं गैर–आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण बिहार सरकार के गजट दिनांक 20.01.2016 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 963 दिनांक 20.01. 2016 के आलोक में दिया जाएगा। योग्य महिला अभ्यर्थियों के अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्त्ती वर्ष में संगत कोटि (आरक्षित / गैर–आरक्षित) के पुरूष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा।

(ग) <u>शैक्षणिक योग्यताः</u>– अभ्यर्थियों को साक्षर होना आवश्यक है और हिन्दी–अंग्रेजी दोनों भाषा में पढ़ने और लिखने का काम चलाउ ज्ञान होना चाहिए। अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से स्वस्थ्य होना चाहिए ताकि कठिन कार्य का जिम्मा ले सकें और पुरूष अभ्यर्थियों को साईकिल चलाने की जानकारी अवश्य होनी चाहिए।

(2) **आवेदन के अनुलग्नक** :– आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी निम्नलिखित कागजात की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें:–

(i) जन्मतिथि की पुष्टि में प्रमाण–पत्र।

(ii) शैक्षणिक योग्यता की पुष्टि में प्रमाण–पत्र।

(iii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समुदायों के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण–पत्र एवं विकलांग होने की स्थिति में वांछित प्रमाण–पत्र, जो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत हो।

(iv) आरक्षण का लाभ लेने वाले समुदायों के उम्मीदवारों के लिए निवास प्रमाण–पत्र।

(v) दो स्वपता लिखित लिफाफा (9"X4"), जिसमें से एक पर रू0 40/– मूल्य का डाक टिकट लगा हो (स्पीड पोस्ट हेतु)।

(vi) बिना टोपी एवं धूप या रंगीन चश्मा पहने पासपोर्ट आकार के एक फोटोग्राफ (एक माह से अधिक पुराना न हो) को आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर चिपकाया जाना है (स्टेपल या पिन से संलग्न न करें)।

(3) **आवेदन की प्रकिया** :– उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र इस अधिसूचना में संलग्न प्रारूप में हिन्दी में प्रस्तुत करना चाहिए। आवेदन पत्र अच्छी गुणवता वाले ए–4 साईज के बांड सफेद पेपर पर केवल एक तरफ प्रयोग करते हुए होना चाहिए। समाचार पत्र की कटिंग (कतरन) का प्रयोग आवेदन पत्र के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। वैसे आवेदन पत्र जिसके प्रारूप में कोई परिवर्तन हो, अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को हिन्दी या अंग्रेजी में अपनी लिखावट में आवेदन पत्र भरना चाहिए तथा इसके लिए केवल ब्लू (नीली) या ब्लैक (काली) बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करना चाहिए। उम्मीदवारों को अपना आवेदन पत्र पर्याप्त समय लेकर भेजना चाहिए ताकि अंतिम तिथि को या इससे पहले इस कार्यालय में पहुंच जाए। यह कार्यालय किसी डाक विलम्ब अथवा आवेदनों की गलत सुपुर्दगी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। उम्मीदवार को आवेदन पत्र के नीचे दिए गए स्थान पर आवेदन भरने की तारीख व स्थान का उल्लेख करना चाहिए। आवेदक आवेदन–पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर करेंगे एवं तिथि अंकित करेंगे। बिना हस्ताक्षरयुक्त आवेदन पत्रों को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा। बिना तिथि के या अधिसूचना जारी होने से पूर्व की तिथि के आवेदन भी सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा। प्रत्येक उम्मीदवार को केवल एक आवेदन पत्र भेजना

चाहिए। एक से अधिक आवेदन भेजने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि ऐसा कोई उम्मीदवार अनजाने में चयनित हो जाता है और बाद में यह पता चलता है कि उसने एक से अधिक आवेदन जमा किया है तो उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

(4) **आवेदन किसे करें**:– अपेक्षित दस्तावेजों के साथ दिए गए प्रारूप में स्वलिखित एवं भरे हुए आवेदन पत्र निबंधित डाक द्वारा ''**जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, पिन कोड– 845401**'' को विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर अवश्य प्राप्त होना चाहिए। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर चाहे जो भी कारण हो, विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र वाले लिफाफा के उपर नियुक्ति सूचना संख्या एवं आवेदित पद का नाम अवश्य लिखा होना चाहिए।

(5) **चयन की प्रकिया** :– अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के आधार पर ही किया जायेगा। साक्षात्कार/जांच की तिथि व्यवहार न्यायालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के अधिकारिक वेबसाईट एवं समाचार–पत्र के माध्यम से बाद में संसूचित की जायेगी एवं साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र भी निर्गत किया जाएगा।

(6) भविष्य में यदि उक्त अधिसूचना का शुद्धिपत्र या संलग्नक प्रकाशित किया जाता है तो वो भी इसी अधिसूचना का भाग होगा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
पिन– 845401
वेबसाईट–ecourts.gov.in/motihari